उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

शुक्रवार, 28 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1947

(19 दिसम्बर, 2025)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-वन्दे मातरम् (देखिये नत्थी 'क')।

2-श्री सभापति, विधान परिषद्, सदन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 तक के तिथिवार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुति, सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(संस्तुति की सूचना के लिए देखिये नत्थी 'ख')

3-प्रश्न (देखिये नत्थी 'ग')।

4-निधन के निदेश।

5-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् घोषणा करेंगे कि :-

(1) उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का चौथा अधिनियम बना।

(2) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का पांचवां अधिनियम बना।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का छठवां अधिनियम बना।

(4) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का सातवां अधिनियम बना।

(5) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का आठवां अधिनियम बना।

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का नवां अधिनियम बना।

(7) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का दसवां अधिनियम बना।

(8) उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का ग्यारहवां अधिनियम बना।

(9) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का बारहवां अधिनियम बना।

(10) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 अगस्त, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का तेरहवां अधिनियम बना।

(11) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 23 सितम्बर, 2025 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2025 ई0 का चौदहवां अधिनियम बना।

6-वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-9 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

7-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

9-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

10-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

11-औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

12-श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

13-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2025) को सदन की मेज पर रखेंगे।

14-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने वाली नई व्यवस्था संशोधित नियमावली में पुनः संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

15-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों हेतु सेवा नियमावली बनाने एवं समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

16-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एवं फार्मेसी में वर्ष 2023 से पहले की प्रवेश प्रणाली को लागू कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 आकाश अग्रवाल व श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

17-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-सोनभद्र में ओबरा इण्टर कालेज, ओबरा में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये शिक्षकों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-105 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

18-पंचायती राज मंत्री, जनपद-बाराबंकी में बंकी विकास खण्ड के ग्राम बरौली में प्राइमरी विद्यालय से नहर पुलिया तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

19-जल शक्ति मंत्री, प्रदेश के सिंचाई विभाग में रिक्त 9710 ट्यूबवेल आपरेटरों के पदों पर विज्ञापन जारी कराते हुए नवयुवकों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री किरण पाल कश्यप व श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

20-जल शक्ति मंत्री, जनपद-सिद्धार्थनगर में स्थापित नलकूपों के संचालन करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

21-पंचायती राज मंत्री, ग्राम पंचायत-गौना, विकास खण्ड-मंडावरा, जनपद-ललितपुर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन व डा0 प्रज्ञा त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

22-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मैनपुरी के ग्राम व पोस्ट-सिरमई में पिंकी देवी पत्नी श्री देवपाल सिंह के विद्यालय से विछवां-हन्नूखेड़ा मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह 'गुरू जी' व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान

परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

23-पंचायती राज मंत्री, प्रदेश में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मानदेय दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद कुमार सिंह व इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

24-पंचायती राज मंत्री, ग्राम पंचायत-देलवासपुर ककरही, न्याय पंचायत-देलवासपुर ककरही, विकास खण्ड-जमालपुर, जनपद-मिर्जापुर में पंचायत भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

25-जल शक्ति मंत्री, ग्राम-मुर्तजापुर, मजरा बेहट में नहर विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

26-जल शक्ति मंत्री, जनपद-कानपुर देहात के ग्राम-मुतैहरापुर, विकास खण्ड-मलासा में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री दरबारी लाल के चक में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 05 मार्च, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

27-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के जर्जर माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

28-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजन करवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व श्री राम गोपाल उर्फ गोपाल अंजान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

29-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के कानपुर मण्डल के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के अन्तर्गत कार्यरत लगभग 600 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

30-पंचायती राज मंत्री, जनपद-बस्ती, विकास खण्ड-गौर, ग्राम पंचायत-परासडीह में गौर डिग्री कालेज से पंचायत भवन होते हुए जीतेश्वर शुक्ल के आवास तक पक्की सड़क एवं नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

31-पंचायती राज मंत्री, जनपद-मिर्जापुर की ग्राम सभा-महरछ, विकास खण्ड-सीखड़ चुनार में मुख्य मार्ग से लगे लिंक मार्ग पर श्री संतोष सिंह की जमीन से श्री गुलाब सिंह की जमीन तक खड़न्जे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

32-पंचायती राज मंत्री, जनपद-सीतापुर की तहसील-लहरपुर के विकास खण्ड-परसेण्डी के ग्राम पंचायत-जरेली के मजरा माखपुर में नहर पेन्टेड रोड से आशा वर्मा के मकान तक के जर्जर मार्ग (900 मीटर) को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

33-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जनपद-गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शिक्षक डा0 अभिजीत मिश्रा द्वारा क्रय का कार्य किये जाने तथा शिक्षक डा0 जयप्रकाश जिन्हें भ्रष्टाचार के कारण कुलसचिव के पद पर हटाया गया था, को कुलसचिव का ही लिंक अधिकारी नियुक्त कर दिया, इसी प्रकार श्री जे0पी0 सैनी द्वारा भ्रष्टाचार व वित्तीय अनियमितता कर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति धराशायी और निरन्तर शासकीय धन की लूट व बन्दरबांट किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

34-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन व्यवस्था में आ रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

35-उच्च शिक्षा मंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रदेश सरकार द्वारा दिये गये शासनादेश में परीक्षा शुल्क की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीचन्द शर्मा व श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

36-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ऑफलाइन स्थानान्तरण किये जाने हेतु शासनादेश/कार्यालयादेश का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव व श्री शाह आलम, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

37-पंचायती राज मंत्री, जनपद-इटावा, पोस्ट-सैफई के ग्राम-त्रिलोकपुर में हवाई पट्टी रोड से संजेश शर्मा के घर से श्री प्रदीप कुमार के घर तक कच्चे मार्ग को पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकुल यादव व श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

38-पंचायती राज मंत्री, जनपद-फिरोजाबाद के विकास खण्ड-एटा की ग्राम पंचायत-मधीपुर में ग्राम पंचायत के पैदल मधीपुर मार्ग से रनवीर मास्टर के मकान तक क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण व जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय शिवहरे व श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

39-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एन0पी0एस0 से आच्छादित होने वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उनके पेंशन आदि के भुगतान देने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

40-जल शक्ति मंत्री, देवरिया के रूद्रपुर-करहकोल मार्ग पर राप्ती नदी और गोर्रा नदी के पानी निकालने के लिये रेगुलेटर लगाये जाने हेतु आगणन प्रस्ताव मंगवाकर स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री रजनीकान्त महेश्वरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

41-पंचायती राज मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर एवं पीलीभीत के ग्रामीण गरीब निर्धन व्यक्तियों के परिवार हेतु प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक कल्याण मण्डप या बारात घर बनवाने के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता व डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

42-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को अध्यापक पुरस्कार आवेदन में आ रही कठिनाई का निदान कराने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' व डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

43-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रदेश में वित्त विहीन विद्यालयों में शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की भांति पंडित दीन दयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा कार्ड से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो व श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगी।

44-पंचायती राज मंत्री, जनपद-अम्बेडकर नगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पंजूपुर में छोटेलाल प्रजापति के घर से धर्मेन्द्र राजभर के घर तक खराब रास्ते को बनवाने के सम्बन्ध में श्री विच्छे लाल राम व श्री योगेश चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

45-पंचायती राज मंत्री, सीतापुर के विकास खण्ड-बेहटा के ग्राम पंचायत-कठूरा में अम्बिका सिंह के खेत से नैखेरा तक के कच्चे मार्ग को बनवाने के सम्बन्ध में श्री पवन सिंह चौहान व डा0 के0पी0 श्रीवास्तव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

46-उप मुख्य मंत्री, अधिवक्ता संशोधन विधेयक, 2025 को लेकर प्रदेश अधिवक्ताओं में रोष एवं क्षोभ व्याप्त होने के कारण विधेयक को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

47-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश में तैनात सहायक चकबन्दी अधिकारियों को गैजटेड करने व ग्रेड-पे बढ़ाने के सम्बन्ध में श्री किरणपाल कश्यप, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

48-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश में संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों की ऑनलाईन हाजिरी लगाए जाने में आ रही समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

49-पंचायती राज मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-रेउसा अन्तर्गत ग्राम पंचायत-रमुआपुर कालिका सिंह में काशीपुर-भिठौली मार्ग से लौकीपुरवा गांव तक लगभग 600 मीटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

50-जल शक्ति मंत्री, जनपद-देवरिया के रूद्रपुर में राप्ती नदी पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

51-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के संस्कृत शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किए जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

52-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

53-पंचायती राज मंत्री, जनपद-शाहजहांपुर के 15 ब्लाकों एवं पीलीभीत के 07 ब्लाकों में ग्राम प्रधान तथा बी0डी0सी0 के सदस्यों की उचित बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में डा0 सुधीर गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

54-पंचायती राज मंत्री, जनपद-सम्भल के ग्राम-गोपालपुर, मझरा अकरौली तहसील-चन्दौसी के ग्राम सराय ज्वालापुरी तक आर0सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

55-पंचायती राज मंत्री, जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-नवाबगंज के ग्राम पंचायत-सरांय जोगा के निवासियों को जलभराव से हो रही समस्या के सम्बन्ध में श्री शाहनवाज खान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

56-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में तैनात सहायक प्रोफेसरों को कैरियर एडवान्स स्कीम (CAS) एवं सेवा स्थायी न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

57-पंचायती राज मंत्री, जनपद-कन्नौज में ग्राम-खरगपुर, पोस्ट व विकास खण्ड-हरसेन, तहसील-तिर्वा में जल निकासी की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

58-पंचायती राज मंत्री, जनपद-एटा में ग्राम-नगला गडरिया मजरा शाहनगर टिमरऊ, तहसील व ब्लाक-जलेसर के गांव के अन्दर मुख्य मार्ग पर पानी निकासी के सम्बन्ध में डा0 जय पाल सिंह 'व्यस्त', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

59-पंचायती राज मंत्री, ग्राम-नगला गुजराती, पोस्ट-पुरैला, ब्लाक-ताखा, थाना-ऊसराहार, जिला-इटावा में मेन रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

60-पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज विभाग जनपद-सोनभद्र में कार्यरत लेखाकार द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

61-पंचायती राज मंत्री, जनपद-ललितपुर, विकास खण्ड-बिरधा के ग्राम पंचायत-बंट में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

62-जल शक्ति मंत्री, जनपद-महोबा के विकास खण्ड-कबरई स्थित चन्द्रावल बाँध एवं कबरई बाँध पर नहर व लिफ्ट कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

63-उच्च शिक्षा मंत्री, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति घोषित कर लागू किए जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

64-जल शक्ति मंत्री, जनपद-हरदोई के ब्लाक-कोथावां के अन्तर्गत ग्राम-नीमडाडा एवं ग्राम-रायपुर में सरकारी नलकूप को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू', सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

65-उच्च शिक्षा मंत्री, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शिक्षणरत श्री बृजेश मोहन वशिष्ट पुत्र श्री कृष्ण वल्लभ वशिष्ट की बी0एड0 की अंक तालिका प्राप्त न होने के सम्बन्ध में डा0 आकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

66-प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत प्राध्यापकों की सेवा निवृत्तिक आयु ए0आई0सी0टी0ई0 की अनुशंसानुसार 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

67-इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उत्तर प्रदेश अपट्रान इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कैपिसिटर्स डिवीजन लखनऊ तथा अन्य डिवीजन के वी0आर0एस0 कर्मियों की पेंशन धनराशि में वृद्धि के सम्बन्ध में डा0 मान सिंह यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

68-माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तर प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगी।

69-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-बसोवई, विकास खण्ड-मोंठ, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से अम्बेडकर पार्क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

70-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गढबई, विकास खण्ड-बामौर, जनपद-झांसी के निवासियों की ओर से सी0सी0 सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

71-श्री सन्तोष सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट-मुसपिपरी, तहसील-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ के निवासियों की ओर से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 के महान क्रान्तिकारी राजा दिग्विजय सिंह के किला स्थल/स्मारक की भूमि को उनके नाम से राजस्व अभिलेखों में संरक्षित/सुरक्षित करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

लखनऊ :
शुक्रवार, 28 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1947
(19 दिसम्बर, 2025)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

नत्थी ‘क’

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-परामर्शदात्री समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 की बैठक में सदन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 से 24 दिसम्बर, 2025 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की संस्तुति की है :-

<u>दिसम्बर, 2025</u>

19 शुक्रवार	1-निधन के निदेश।
	2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
	3-विधायी कार्य।
	4-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
20 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
21 रविवार	बैठक नहीं होगी।
22 सोमवार	1-**<u>12:20 बजे अपराह्न</u>**
	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।
	2-विधायी कार्य।
	3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
23 मंगलवार	1-विधायी कार्य।
	2-''भारत के राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के 150 वर्ष'' के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1956 के नियम-59(9) के अन्तर्गत लोकहित के विषय पर 04 घण्टे की अनवरत् चर्चा।
	3-अन्य कार्य, यदि कोई हों।
24 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक, जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण।
	2-विधायी कार्य।

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	26-9-2025
*2	26-9-2025
*3	26-9-2025
*4	26-9-2025
*5	26-9-2025
*6	30-9-2025
*7	13-10-2025
*8	13-10-2025
*9	6-11-2025
*10	7-11-2025
*11	12-12-2025
*12	12-12-2025
*13	12-12-2025
*14	12-12-2025
*15	12-12-2025
*16	12-12-2025
*17	12-12-2025
*18	12-12-2025
*19	12-12-2025
*20	12-12-2025
*21	12-12-2025
*22	12-12-2025
*23	12-12-2025
*24	12-12-2025
*25	12-12-2025

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	26-9-2025
2	26-9-2025
3	26-9-2025
4	26-9-2025
5	26-9-2025
6	26-9-2025
7	26-9-2025
8	26-9-2025
9	26-9-2025
10	26-9-2025
11	26-9-2025
12	30-9-2025
13	30-9-2025
14	30-9-2025
15	30-9-2025
16	30-9-2025
17	30-9-2025
18	30-9-2025
19	30-9-2025
20	30-9-2025
21	13-10-2025
22	13-10-2025
23	13-10-2025
24	13-10-2025
25	13-10-2025
26	13-10-2025
27	13-10-2025
28	13-10-2025
29	13-10-2025
30	13-10-2025
31	13-10-2025
32	13-10-2025
33	13-10-2025
34	13-10-2025
35	29-10-2025
36	29-10-2025
37	29-10-2025
38	29-10-2025
39	29-10-2025
40	29-10-2025

नत्थी 'ग'

शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, सन् 2025 ई0

तारांकित प्रश्न

वित्त विहीन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में वित्त विहीन शिक्षकों को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा दिये जाने का निर्णय दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के मध्य लिया गया है ?

(ख) क्या प्रदेश में वित्त विहीन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनमें भारी रोष व्याप्त है ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
2

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*2-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के नवसृजित जनपदों में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 में जमा की गई धनराशि का स्थानान्तरण मूल जनपद से किया गया है कि नहीं ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या-क्या ?

(ग) यदि नहीं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है ?

(घ) क्या जी0पी0एफ0 की धनराशि स्थानान्तरित न होने के कारण सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 का भुगतान नहीं हो रहा है ?

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के जी0पी0एफ0 का भुगतान न होने के कारण उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

प्रदेश के शिक्षामित्रों एवं अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
3

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*3-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए किसी समिति का गठन किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव
4

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*4-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सरकार क्यों समाप्त करने जा रही है ?

(ख) क्या सरकार के अधिकारी बाबा रामदेव द्वारा संचालित भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कोई खामियाँ हैं ?

(घ) क्या सरकार उसमें संशोधन करेगी या बोर्ड को ही खत्म कर देगी ?

जनपद-शामली के ग्राम पंचायत-भाज्जु में नाले की सफाई के सम्बन्ध में

श्री किरण पाल कश्यप 5 — पंचायती राज मंत्री

*5-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद शामली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भाज्जु में नाले की सफाई हेतु क्या व्यवस्था है व कितने समय में सफाई का प्राविधान है ?

(ख) उक्त स्थान पर बने नाले (ग्राम मुढभर से ग्राम कुरावा तक) की सफाई न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या उक्त नाले की सफाई कराते हुए कम से कम 06 फुट गहरा नाला बनाने का विचार करेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

दिवंगत कार्मिकों का कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को ए0सी0पी0 अवशेष, संशोधित पेंशन व नकदीकरण का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 6 — माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

*6-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि निदेशक, आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश सं0-5576/अधि0/लेखा संवर्ग (सामान्य ए0सी0पी0)/2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 द्वारा सेवाकाल में दिवंगत कार्मिकों का कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त लाभ के अनुसार ए0सी0पी0 अवशेष, संशोधित पेंशन व नकदीकरण का लाभ प्रदान कर दिया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(घ) उपरोक्त लाभ कब तक प्रदान करा दिये जायेंगे ?

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में मनोविज्ञान पद हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 7 — उच्च शिक्षा मंत्री

*7-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में मनोविज्ञान पद हेतु कितने पद स्वीकृत हैं ?

(ख) मनोविज्ञान विषय में चार गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन हेतु दिनांक 18-07-2025 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था ?

(ग) उक्त विज्ञापन के सापेक्ष कितने आवेदन प्राप्त हुए ?

(घ) विज्ञापन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नाम एवं शैक्षिक योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ङ) उक्त पदों हेतु चयन में क्या आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-गोण्डा के ग्राम नरौरा अर्जुन/खिरौरा मोहन के अपराधी प्रवृत्ति के कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह 8 — मुख्य मंत्री

*8-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा के ग्राम नरौरा अर्जुन/खिरौरा मोहन के कई व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या-970/2024 थाना कोतवाली नगर गोण्डा में जिला अस्पताल के चिकित्सक के दिनांक 23 जनवरी, 2025 को हुए बयान व छूटे अभियुक्तों का नाम व धारा-307 न बढ़ाकर व गिरफ्तारी एवं मुकदमा अपराध संख्या-148/2012, धारा-302, 201, 34, 419, 420, 467, 468, 471 थाना कोतवाली देहात गोण्डा में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12 जनवरी, 2024 व 20 फरवरी, 2024 एवं दिनांक 06 मई, 2024 को पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को आदेश/113 वर्क तार्किक साक्ष्य न्यायालय से प्राप्त होने के बावजूद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं ?

(ख) उनकी गिरफ्तारी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या ऐसे अपराधी समाज के लिए घातक नहीं बने हुए हैं ?

(घ) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर जेल में निरुद्ध कराएगी ?

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद-बलिया में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में भूमि दानकर्ता शहीद स्मारक न्यास बसन्तपुर, बलिया के एक सदस्य को नामित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री रविशंकर सिंह 'पप्पू भैया'
9

*9-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया में जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् में भूमि दानकर्ता शहीद स्मारक न्यास बसन्तपुर, बलिया के एक सदस्य को नामित करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने बाईलाज में यह प्राविधान किया था कि एक सदस्य को नामित किया जायेगा ?

उच्च शिक्षा मंत्री

(ख) क्या जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय ने इस कार्य को अभी तक किया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर पंचायत-करहल में सार्वजनिक मरघट (शमशान) हेतु जमीन आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव
10

*10-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि राजस्व विभाग द्वारा नगर पंचायत-करहल में सार्वजनिक मरघट (शमशान) हेतु कोई जमीन आवंटित की गयी है ?

मुख्य मंत्री

(ख) यदि हां, तो कहां पर ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्टों के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
11

*11-(क) क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बतायेंगे कि उनके अधीन उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का प्रभार भी आप में निहित है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो विगत 3 वर्षों में कितने प्रोजेक्ट सभी संवर्ग के प्रोफेसर एवं छात्रों द्वारा वर्षवार एवं क्रमवार प्राप्त कराये गये ?

(ग) क्या प्रोजेक्टों की स्वीकृति में अनियमितताएं की गई हैं ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या ?

(ङ) उक्त प्राप्त प्रोजेक्टों में से वर्षवार कितने स्वीकृत किये गये और कितने नहीं ?

(च) क्या उक्त का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

वित्तीय वर्ष 2023-24 के मदों पर हुये व्यय के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 12

*12-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किन-किन मदों में कुल कितने रुपये खर्च हुए हैं ?

(ख) क्या सभी मदों का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिये अनुदान सूची में लाये जाने के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 13

*13-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बिना वेतन के शिक्षण कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है ?

(ख) क्या ऐसे वित्त विहीन विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने की कोई नीति बनी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में मदों में व्यय के सम्बन्ध में

श्री लाल बिहारी यादव 14

*14-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-2024 में किन-किन मदों में कुल कितने रुपये खर्च हुये हैं ?

(ख) क्या उक्त सभी मदों का अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

जनपद-उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों में दिवंगत हुये कर्मचारियों के आश्रितों को देय लाभ यथा-पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, जी0पी0एफ0 व मृतक आश्रित का लाभ प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 15

*15-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव के परिषदीय विद्यालयों में 55 शिक्षक एवं 10 शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिनांक 01-01-2022 से दिनांक 31-12-2024 के मध्य सेवाकाल में दिवंगत हुए हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो इनके नाम व मृत्यु की दिनांक क्या है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(ग) इनके आश्रितों को देय लाभ यथा-पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, जी0पी0एफ0 व मृतक आश्रित का लाभ कब तक प्रदान करायेंगे ?

जनपद-गोण्डा के ग्राम पंचायत-नरौरा अर्जुन में सरकारी भूमि पर किये गये कब्जे को जनहित में अतिशीघ्र हटवा कर दोषी लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में

श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह 16 — मुख्य मंत्री

*16-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रतीक भूषण, सदस्य, विधान सभा का दिनाँक 16 जनवरी, 2025 का पत्र जो आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा को सम्बोधित था तथा जनपद-गोण्डा में ग्राम पंचायत नरौरा अर्जुन, वि0 ख0 पंडरी कृपाल, तहसील सदर में ग्राम सभा की चारागाह की भूमि पर गाटा सं0-375, 377, 378, 379 एवं 380 व शमशान घाट गाटा सं0-405, तालाब गाटा सं0-393, 376 व ग्राम समाज गाटा सं0-372 व 373 को काँटों से रूँध कर उक्त ग्राम पंचायत के सरकारी आर0 सी0 सी0 रास्ते पर छत डालकर दलितों की भूमि गाटा सं0-294 पर अतिक्रमण कर उक्त ग्राम पंचायत के ही राजस्व ग्राम-खिरौरा मोहन में चकमार्ग गाटा सं0-75 पर मकान बनाकर ग्राम सभा के ही भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है, जिसका वीडियो/फोटो साक्ष्य उपलब्ध है ?

(ख) यदि हाँ, तो सदस्य व आवेदकों के पत्र दिनांक 15 मई, 2025 जो आयुक्त देवी पाटन मण्डल, गोण्डा को सम्बोधित था, पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त ग्राम सभाओं के भू-माफियाओं द्वारा गरीबों की व सरकारी भूमि पर किये गये कब्जे को जनहित में अतिशीघ्र हटवा कर दोषी लेखपालों व दोषी राजस्व निरीक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की हुई बैठक में लिये निर्णय व उनके अनुपालन के सम्बन्ध में

श्री राज बहादुर सिंह 'चन्देल' 17 — पंचायती राज मंत्री

*17-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की मांगों का निराकरण किये जाने हेतु संयुक्त निदेशक (पंचायत), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनांक 29-05-2025 को बैठक सम्पन्न हुई है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिये गये हैं तथा लिये गये निर्णयों का अनुपालन कब तक सुनिश्चित करायेंगे ?

ग्राम-धुवार्जुन, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में तालाबों के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 18 — उप मुख्य मंत्री

*18-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक ग्राम-धुवार्जुन, तहसील-सैदपुर, जनपद-गाजीपुर में कितने तालाबों का सौन्दर्यीकरण कराया गया है ?

(ख) क्या उक्त ग्राम सभा में ही गुपेश राय के घर के सामने स्थापित प्राथमिक विद्यालय के पास तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने से स्कूल की शोभा बढ़ जायेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब तक उक्त तालाब का सौन्दर्यीकरण करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति लागू कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 19 — उच्च शिक्षा मंत्री

*19-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति लागू करने के सम्बन्ध में शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-1 से पत्रांक संख्या-1074/सत्तर-1-2025 जो कि कुलसचिव सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर कुलसचिव से आख्या मांगी गयी है ?

(ग) कुलसचिव द्वारा शासन को आख्या कब उपलब्ध करायी गयी है तथा शासन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ङ) उपरोक्त महाविद्यालयों में स्थानान्तरण नीति कब तक लागू करायेंगे ?

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय टी0जी0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव 20	*20-(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर विषय 'टी0जी0टी0' में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद सृजन करके अधियाचन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण सम्बन्धितों में भारी रोष व्याप्त है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया में विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक उक्त प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए नियुक्ति कराये जाने की कार्यवाही करायेंगे ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

उ0 प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् की कामिल एवं फाजिल कक्षाओं को ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध कर परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 21	*21-(क) क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् की कामिल एवं फाजिल कक्षाओं को ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से सम्बद्ध कर परीक्षा कराए जाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ? (ख) यदि नहीं, तो क्यों ?	उच्च शिक्षा मंत्री

शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने हेतु नीति व चिकित्सा प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 22	*22-(क) क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2025 से दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तक शासन में शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाये जाने हेतु कोई नीति बनाये जाने पर विचार किया गया है ? (ख) क्या शिक्षामित्रों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति भी दिये जाने की नीति है ? (ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री मुकुल यादव 23 — *23-[अन्तरित।]

श्री आशुतोष सिन्हा 24 — *24-[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद मैनपुरी, इटावा एवं कन्नौज में विरासत के शस्त्र लाइसेन्स के सम्बन्ध में

श्री मुकुल यादव 25 — मुख्य मंत्री

*25-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी, इटावा एवं कन्नौज में विरासत के शस्त्र लाइसेन्स के आज तक कितने प्रकरण लम्बित हैं तथा इनका निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

अतारांकित प्रश्न

श्री अनूप कुमार गुप्ता 1 — मुख्य मंत्री

1-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत मानपुर सीकरी, तहसील-लहरपुर, जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटवाये जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर को सम्बोधित पत्र सं0-268/BJPUP/2025, दिनांक 28-06-2025 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त ग्राम सभा में भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनूप कुमार गुप्ता 2 — 2-[अन्तरित।]

श्री अनूप कुमार गुप्ता 3 — मुख्य मंत्री

3-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम व पोस्ट-वीरसिंहपुर, थाना-ईसाइनगर, तहसील-धौरहरा, जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत पट्टे की नवीन परती व बंजर भूमि गाटा संख्या-1118 हे0 व गाटा संख्या-981 हे0 स्थित ग्राम-वीरसिंहपुर के एक वर्ग विशेष समुदाय के दबंगों द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जे को रोके जाने हेतु पूर्व में प्रश्नकर्ता

द्वारा अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को सम्बोधित पत्र सं0-07/BJPUP/2025, दिनांक 08-01-2025 तथा प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 को सम्बोधित पत्र सं0-06/BJPUP/2025, दिनांक 08-01-2025 के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की गयी है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या उक्त ग्राम सभा में भूमि पर किये गये अवैध कब्जों को हटवायेंगे ?

(घ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-भूईपारा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज में स्थापित सरकारी नलकूपों के सुचारु रूप से न चलने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो कब तक उक्त ग्राम सभा में स्थापित सभी नलकूपों को ठीक कराते हुए सुचारु रूप से चालू करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-भूईपारा, तहसील-मेजा, जनपद-प्रयागराज में प्रेम कुमार मिश्रा व कमला मास्टर के घर से मेन रोड तक सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड न होने कारण राहगीरों/ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम चौराडीह, ब्लाक-चायल, जनपद-कौशाम्बी में राकेश पाण्डेय पुत्र स्व0 त्रिलोक नारायण पाण्डेय के घर से दासा तालाब तक सी0सी0 रोड न होने के कारण ग्रामीणों/राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हां, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-गिरिया, खालसा, तहसील-चायल, जनपद-कौशाम्बी के निवासियों की राजस्व सम्बन्धी समस्या का समाधान कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 जुलाई, 2025 जोकि आपको सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र के मुख्य बिन्दु क्या-क्या थे और उक्त पत्र के क्रम में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उक्त प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित ग्राम सभा के पीड़ित व्यक्ति सन्तुष्ट हैं ? (घ) यदि हां, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 8	8-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम बेहड़ा सुतिया निरंतर बाढ़ की समस्या से ग्रस्त है, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन, आजीविका एवं दैनिक जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या उक्त ग्राम बेहड़ा सुतिया को निरंतर बाढ़ से निजात दिलाने हेतु कोई स्थायी योजना बनायेंगे ? (ङ) यदि हां, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम बॉका खास, पो0-बहादुरगंज, ब्लाक व तहसील कासिमाबाद, जनपद-गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में कितने व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराये गये हैं और कितने व्यक्तियों का नाम पात्रता-सूची में अभी अवशेष हैं ? (ख) क्या उक्त ग्राम सभा में पुष्पा पत्नी बृजेस, सुमन्ती राय पत्नी स्व0 सुरेन्द्र राय व सिरता राय पत्नी विपिन राय	उप मुख्य मंत्री

को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास न मिल पाने के कारण इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक उक्त व्यक्तियों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध करायेंगे ?

डा0 मान सिंह यादव 10	10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम-भॉवापुर दुबे पट्टी, तहसील-पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-2025 व 2025-26 में कौन-कौन से विकास कार्य करायेंगे तथा उक्त ग्राम सभा में कितनी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है और उक्त विकास कार्यों को किन-किन अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया है ? (ख) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 11	11-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-महोखरी, ब्लाक-बाबा बेलखरनाथ धाम, तहसील-पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में तीरथ राज पाठक के घर से नोखई पाठक के घर तक लगभग 500 मीटर इण्टरलाकिंग/सी0सी0 रोड न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर कब तक इण्टर लाकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री अनूप कुमार गुप्ता 12	12-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सियाथू मजरा बैकुण्ठा में पुस्तकालय की स्थापना/निर्माण करवायेंगे ? (ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ? (घ) क्या उक्त ग्राम सभा में पुस्तकालय की स्थापना/निर्माण करायेंगे ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री

श्री अनूप कुमार गुप्ता 13	13-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम पंचायत वसलीपुर कुकरा मार्ग से छैरासी-छोटेलालपुर, जनपद-लखीमपुर खीरी तक जाने वाला सम्पर्क मार्ग जीर्ण-शीर्ण एवं क्षतिग्रस्त है, जिसके कारण वहाँ की जनता को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ? (ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? (ग) यदि नहीं की गयी, तो क्यों ? (घ) क्या उक्त ग्राम सभा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेंगे ? (ङ) यदि हाँ, तो कब तक ? (च) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 14	14-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक जनपद-आगरा में कितने मुख्य आरक्षी सी0 पी0 शासन की स्थानान्तरण नीति के अनुसार जनपद/मण्डल में निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त आगरा से कब स्थानान्तरित किए गये एवं स्थानान्तरण होने के उपरान्त भी वहाँ से कार्यमुक्त नहीं किए गये ? (ख) क्या उनके नामों की सूची स्थानान्तरण आदेश की प्रतियों सहित सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यमुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं ? (घ) उक्त पुलिस कर्मियों को स्थानान्तरण आदेश का पालन करते हुए आगरा से कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा ? (ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 15	15-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, बरबट ग्राम सभा के विकास नगर में कुलदीप ट्रेडर्स के बगल से राजू पाल के मकान से होते हुए रोहित पाल के घर तक लगभग 50 मी0 नाली तथा सड़क नहीं है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 16	16-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम-गजराज खेड़ा, पोस्ट-संदाना, विकास खण्ड-हिलौली, जनपद-उन्नाव में राजू के घर से हरि व गंगाधर यादव के घर होते हुए छीटू यादव के घर तक मात्र 150 मीटर पानी निकासी की पुरानी नाली बंद होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त समस्या के निदान हेतु पुरानी नाली का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 17	17-(क) क्या पंचायतीराज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-कौवाडील, सैयद-टणवा, ब्लाक-गगहा, तहसील-गोला, जनपद-गोरखपुर में यशपाल सिंह डिग्री कालेज से विमला कान्त त्रिपाठी के घर तक लगभग 700 मीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 18	18-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-नकटवारा, ग्राम सभा-रकौरा, ब्लाक-मया, तहसील सदर, जनपद-अयोध्या में रामतेज मिश्रा के घर से नयातालाब तक लगभग 700 मीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 19	19-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-भवली, ब्लाक-जरवल कस्बा, तहसील-कैसरगंज, जनपद-बहराइच में राम सूरत के घर से नंगू के घर तक लगभग 500 मीटर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री

डा0 मान सिंह यादव 20	20-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-जगमोहनपुर, पोस्ट-अहेरीपुर, विकास खण्ड-महेबा, जिला-इटावा में स्व0 रामनरेश दुबे के मकान से काली माता मंदिर तक की सड़क अत्यन्त जर्जर अवस्था में हो गयी है, जिससे आम जनमानस को आवागमन में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? (ख) क्या जनहित की समस्याओं के दृष्टिगत उक्त सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 21	21-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय पुलिस अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक संख्याः 1ई/चि0प्र01-1048/2024, दिनांक 22 अगस्त, 2024 के माध्यम से कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनु सचिव, गृह पुलिस अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र प्रेषित किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और कब तक उक्त स्वीकृति को प्रदान करायेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 22	22-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि कार्यालय पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान बरेली, सेक्टर बरेली के पत्रांक : स0अ0/चि0प्र0 प्रर्ति-बरेली/2024, दिनांक 27 जून, 2024 के माध्यम से कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करने हेतु पुलिस अधीक्षक मु0 उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को सम्बोधित पत्र प्रेषित किया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति प्रदान करा दी गयी है ? (ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक उक्त स्वीकृति को प्रदान करायेंगे ?	मुख्य मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 23	23-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव बरबट ग्राम सभा के विकास नगर में कुलदीप ट्रेडर्स के मकान से दो प्लाट छोड़कर उसके बगल से बरबट	पंचायती राज मंत्री

लिंक रोड से राधा शर्मा, अनुज पाल व दिनेश पाल के मकान से होते हुये प्रवेश शर्मा के घर तक की दूरी जो लगभग 150 मी0 है, पर नाली तथा सड़क नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर नाली तथा इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 24

24-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक संख्या-क-76006, दिनांक 18 मार्च, 2025 जो नेता सदन/उप मुख्य मंत्री को सम्बोधित एवं ब्लाक प्रमुख, दोहरीघाट, द्वारा विकास कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार एवं सगे सम्बन्धियों की फर्मों पर बिना कार्य के भुगतान आदि की जांच कराए जाने विषयक है, प्राप्त हुआ हैं ? — उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन-किन बिन्दुओं का उल्लेख कर जांच एवं कार्यवाही की मांग की गयी है ?

(ग) उक्त ब्लाक में अनियमितता/भ्रष्टाचार की जांच कब-कब किस-किस स्तर से करायी गयी एवं उसके क्या परिणाम सामने आए उक्त का विवरण/जांच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो भ्रष्टाचार के दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करायेंगे ?

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 25

25-[अन्तरित।]

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह 26

26-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल के जनपदों के जिलाधिकारियों के कार्यालयों में वरासत के शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाने के कितने प्रकरण दिनांक 23 सितम्बर, 2025 तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त विचाराधीन हैं ? — मुख्य मंत्री

(ख) क्या उक्त की सूची तिथिवार सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) शासन के निर्देशों के उपरान्त भी वरासत के शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत न किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित

कर शासनादेश की अवहेलना की कार्यवाही सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध करायेंगे ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव
27

27-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 15 सितम्बर, 2025 तक जनपद-कौशाम्बी के चायल तहसील के अन्तर्गत कितने राजस्व के मुकदमें कब से विचाराधीन हैं ?

(ख) उक्त मुकदमें के त्वरित निस्तारण हेतु किस दिनाँक को निर्देश दिये गये हैं ?

(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

मुख्य मंत्री

डा0 मान सिंह यादव
28

28-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद-लखनऊ के ग्राम व पोस्ट-पिपरसण्ड, तहसील-सरोजनी नगर के अन्तर्गत राम लखन के मकान से कल्लू लोधी के मकान से होते हुए अनिल लोधी के मकान तक कई वर्षों से बनी सड़क जर्जर तथा खराब स्थिति में है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त जर्जर तथा खराब सड़क पर आर0सी0सी0 रोड तथा नाली का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
29

29-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद की ग्राम सभा कासिमपुर के ग्राम कासिमपुर में खलील के खेत से इमिलिया सरहद तक की दूरी जो लगभग 600 मी0 है, का मार्ग बहुत ही खराब अवस्था में है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों को सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु मार्ग पर इंटरलॉकिंग का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह
30

30-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड बिसवां की ग्राम पंचायत लालपुर अर्न्तगत रामकुमार के खेत से विजय के घर

उप मुख्य मंत्री

तक की दूरी जो लगभग 180मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 31 | 31-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा, ग्राम पंचायत जानकी नगर रामकुमार के घर से राम लखन के घर तक की दूरी जो लगभग 170 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? | उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 32 | 32-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड रामपुर मथुरा, ग्राम पंचायत जानकी नगर में, बेचेलाल के घर से रामसेवक के घर तक की दूरी जो लगभग 150 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? | उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु सड़क का निर्माण करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री पवन कुमार सिंह 33 | 33-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड मछरेहटा के गांव रामनगर उमरापुर के पूर्व पुलिया जर्जर अवस्था में है जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? | उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पुलिया की मरम्मत का कार्य करायेंगे ?

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 मान सिंह यादव 34	34-(क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि ग्राम सूडेमऊ, पोस्ट दोनई, तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ नागापुर रजबहा पर पुल न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्थान पर पुल निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	जल शक्ति मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 35	35-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-बिसवां की ग्राम पंचायत-सरैया, मिर्जापुर के अन्तर्गत मजरा सरैया में धनीराम के घर से माता देवी के दरबार तक की दूरी जो 240 मी0 है, का मार्ग बहुत ही जर्जर है। जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 36	36-(क) क्या पंचायती राज मंत्री, बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड पहला की ग्राम पंचायत महरिया के अन्तर्गत गांव तिलोकपुर में बिसवां सदरपुर रोड से तिलोकपुर गांव तक की दूरी जो 240 मी0 है, का खड़न्जा बहुत ही जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह 37	37-(क) क्या पंचायती राज मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड गोंदलामऊ की ग्राम पंचायत खालेगढी के अन्तर्गत गांव खालेगढी गांव से गुलरीभुइयां बाजार तक की दूरी जो 1150 मी0 है, का खड़न्जा बहुत ही जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 38	38-(क) क्या पंचायतीराज मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर, विकास खण्ड गोंदलामऊ की ग्राम पंचायत खालेगढी के अन्तर्गत गांव खालेगढी गांव में मीठेलाल के मकान से सामुदायिक भवन तक की दूरी 300 मी0 है, का खड़न्जा बहुत ही जर्जर है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	पंचायती राज मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 39	39-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महोली के ग्राम पंचायत-सील्हापुर के ग्राम-लालपुर में मेन रोड से गांव तक की दूरी जो लगभग 160 मी0 है, का रास्ता अत्यन्त खराब है जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

श्री पवन कुमार सिंह 40	40-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण अभियन्त्रण) बतायेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड-महोली के ग्राम पंचायत-कुवंरपुर लच्छा के ग्राम-महमूदपुर में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नही है जिससे ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु पानी निकासी हेतु नाली का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

नत्थी ‘घ’

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ के ग्राम पंचायत-बसोवई में अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास अम्बेडकर पार्क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ, ग्राम पंचायत-बसोवई के मूल निवासी हैं। हमारे ग्राम में अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित है। जिसके आस-पास बहुत गन्दगी रहती है। जिससे गाँववासियों को असुविधा होती है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु जिला स्तर पर कई बार प्रयास किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोंठ के ग्राम पंचायत-बसोवई में अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास अम्बेडकर पार्क बनवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी ‘ङ’

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बामौर के ग्राम पंचायत-गढ़बई में श्री जगदीश पटेल के मकान से श्री मुकेश गुप्ता के मकान तक लगभग 180 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-झांसी, विकास खण्ड-बामौर, ग्राम पंचायत-गढ़बई के निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में श्री जगदीश पटेल के मकान से श्री मुकेश गुप्ता के मकान तक सड़क बहुत

जर्जर अवस्था में है। जिसकी दूरी लगभग 180 मीटर है। उक्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु वहां के निवासियों द्वारा जिला स्तर पर कई बार अनुरोध किया गया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-झांसी के अन्तर्गत विकास खण्ड-बामौर के ग्राम पंचायत-गढ़बई में श्री जगदीश पटेल के मकान से श्री मुकेश गुप्ता के मकान तक लगभग 180 मीटर सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, ग्राम व पोस्ट-मुसपिपरी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 के महान क्रांतिकारी राजा दिग्विजय सिंह के किला स्थल/स्मारक की भूमि 3.353 हे0 को उनके नाम से राजस्व अभिलेख में संरक्षित/सुरक्षित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम सभी प्रार्थीगण ग्राम व पोस्ट-मुसपिपरी, तहसील-बक्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ के निवासी हैं। ग्राम व पोस्ट-मुसपिपरी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 के महान क्रांतिकारी राजा दिग्विजय सिंह के किला स्थल/स्मारक की भूमि 3.353 हे0 भूमि राजस्व अभिलेख में संरक्षित/सुरक्षित कराये जाने हेतु जिला स्तर पर प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है, किन्तु जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से विनम्र निवेदन है कि जनपद-लखनऊ के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, ग्राम व पोस्ट-मुसपिपरी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ई0 के महान क्रांतिकारी राजा दिग्विजय सिंह के किला स्थल/स्मारक की भूमि 3.353 हे0 को उनके नाम से राजस्व अभिलेख में संरक्षित/सुरक्षित कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) द्वारा मुद्रित।